राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.9(1)स्टोर/मुनिकाबा/2023-24/00241/214 दिनांकः-09/03/26

खुली निविदा आमंत्रण सूचना

इस कार्यालय में वाहन चालक दर अनुबंध पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वस्तु एवं सेवा कर (GST) आय कर (पैन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो , वाहन चालक हेतु खुली निविदा आमंत्रण का विवरण निम्नानुसार हैः-

क.स.	विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7
1	वाहन चालक	2,70,000/- (समस्त कर सहित)	5400/-	5,00/-	दिनांक 17.03.2026 दोपहर 01:00 P.M. बजे तक	दिनांक 17.03.2026 दोपहर 02:00 P.M. बजे

1. बोली प्रपत्र कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, जयपुर से दिनांक **09.03.2026** सांय 05:00 P.M. बजे से प्राप्त किये जा सकते है या विभाग की बेबसाइट www.rajfab.nic.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल से भी डाउलोड किया जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र बेबसाइट से डाउनलोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 500/-का ड्राफ्ट प्रस्तुत करें।
2. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. बोली प्रतिभूति राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट, मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, जयपुर के पक्ष में बनवाना होगा।
4. तकनीकी बोली प्रपत्र तथा वित्तीय बोली प्रपत्र अलग-अलग लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करनी होगी एवं लिफाफे पर तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। इन दोनो लिफाफों को एक अन्य सीलबंद लिफाफे में , जिसके ऊपर संबंधित निविदा का विवरण अंकित हो कार्यालय मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग में दिनांक 17.03.2026 को दोपहर 01:00 P.M. बजे तक पहुच जानी चाहिए।
5. तकनीकी रूप से सफल निविदा दाता की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त नियम लागू होगे।

9/3/2026

9/3/26

9/3/26

9/3/26

7. तकनीकी बिड दिनांक 17.03.2026 को 02:00 P.M. बजे कार्यालय मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर में उपरिथत बोलीदाता/ संवेदक या उनक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
8. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित है।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकेगी।

Sd/-
(हरीश कुमार गुप्ता)
मुख्य निरीक्षक
कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग
राजस्थान, जयपुर

कमांक:एफ.9(1)स्टोर/मुनिकाबा/2023–24/00241/215-219 दिनांकः– 09.03.26

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।
1. निजी सचिव, मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. भण्डार पाल को स्थानीय कार्यालय के नोटिस बोर्ड/सूचना पटट् पर चस्पा कराये जाने हेतु।
3. प्रोग्रामर, मुख्यालय को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सचिवालय जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को एक क्षेत्रीय दैनिक सामाचार पत्र मे न्यूनतम साईज मे प्रकाशित करवाने का श्रम करावे।
5. समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयो के नोटिस बोर्ड।

9.3.26
मुख्य निरीक्षक
कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग
राजस्थान, जयपुर

9/3/26

9/3/26

9/3/26

निविदा एवं संविदा की शर्ते

1. निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करना होगा।
2. स्वीकृत दरें कार्य आदेश दिनांक से 28.02.2027 तक या स्थाई वाहन चालक विभाग को उपलब्ध होने तक (जो पहले हो) के लिये विधि मान्य होगी।
3. संवेदक/बोलीदाता का नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा के साथ संवेदक/बोलीदाता रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता के द्वारा ठेका श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 एवं अन्य अधिनियमों की संवेदक/बोलीदाता अपने संविधान की प्रति मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य अंकित हो बोली के साथ संलग्न करेगी।
5. संवेदक/बोलीदाता द्वारा जिस कार्य के लिए बोली प्रस्तुत की गई है, के लिये कार्मिकों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाऐं गये कार्मिकों की पहचान एवं पता से संबंधित जानकारी की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी एवं इसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करवानी आवश्यक होगी।
6. संवेदक/बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक के कार्य व्यवहार/आचरण से यदि विभाग को कोई हानि या नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति संवेदक/बोलीदाता को करनी होगी।
7. वाहन चालक जो उपलब्ध करवाया जायेगा उसकी योग्यता निम्न प्रकार होगेः–
   1. 10 वी पास
   2. ड्राईविंग लाईसेंस मय वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
   3. ट्रैंफिक नियमों की जानकारी
   4. 6 X 6 की दृष्टि

   वाहन चालक की उपलब्धता के बाद यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वाहन चालक उक्तानुसार योग्यता रखता है
8. संवेदक/बोलीदाता को भुगतान सीधा उसके बैक खाते में जमा कराया जावेगा जिससें टी.डी. एस तथा सर्विस टैक्स आदि की कटौती नियमानुसार भुगतान मे से कर ली जावेगी।

09. अनुमोदित सेवाप्रदाता के बारे में यह समझा जावेगा कि उसके द्वारा बोली की शर्ते भली भांति समझ ली है तथा बोलीदाता द्वारा बोली की शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वीकृति के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करने होगे।

10. बोलीदाता अपनी बोली अथवा उसके भाग को अन्य किसी एजेन्सी को नही सौपेगा।

11. बोलीदाता बोली स्वीकृति के बाद कार्य आदेश मिलने के 2 दिवस में वाहन चालक उपलब्ध करायेगा।

12. बोली प्रपत्रों में दर्शाई गई दरों में किसी प्रकार की कांट छांट न की जावें। यदि कोई त्रुटि हो तो स्पष्ट रूप से अंकित कर अपने लघु हस्ताक्षर करें।

9-3-26

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

मुख्य निरीक्षक
कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग
राजस्थान, जयपुर

9/3/26

9/3/26

9/3/26

9/3/26

13. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रारूप में रू0 500/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर एक अनुबन्ध निष्पादित करना होगा और RTPP rule 2013 के नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। जो कि Chief Inspector factories & boilers , InspectionDeaprtment, jaipur के नाम जमा होगी। जिसमें बोली प्रतिभूति राशि समायोजित की जावेगी।

14. इस कार्यालय को किसी भी बोली को बिना कारण बताऐं अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. बोली की शर्तो का पालन न करने पर अनुबन्ध तुरन्त समाप्त कर दिया जावेगा तथा भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली बोलियों में भाग लेने से रोक दिया जावेगा एवं उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संवेदक/बोलीदाता का होगा।
16. संविदा के संबंध में उत्पन्न हुये सभी निर्णय का अधिकार मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,निरीक्षण विभाग,जयपुर का होगा। जिसका निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. संवेदक/बोलीदाता संस्था कार्मिक को विभाग के अनुमोदन के बिना नही हटा सकेगी। इस हेतु एजेन्सी को एक माह पूर्व नोटिस देना होगा परन्तु संवेदक/बोलीदाता संस्था के कार्मिक द्वारा कार्य नही करने पर विभाग तुरन्त हटाने हेतु सक्षम होगा।
18. वाहन चालक को प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकतानुसार सेवाऐं
देनी होगी।
19. वाहन चालक को सप्ताहिक अवकाश के अलावा कोई अन्य अवकाश देय नही होगा।
20. वाहन चालक को राजकीय अवकाश के दिवस में भी कार्य हेतु बुलाया जा सकता है।
21. वाहन चालक की अनुपस्थिति में , अनुपस्थिति के दिवस की राशि की कटौती की जायेगीं।
22. वाहन चालक को वाहन के दुर्घटना के समय यदि कोई हानि होती हैं तो विभाग के द्वारा कोई क्लेम का दायित्व स्वीकार्य नही होगा। समस्त जिम्मेरदारी संवेदक की होगी।
23. वाहन चालक समस्त राजस्थान की यात्रा करने हेतु उपलब्ध कराया जावेगा तथा यात्रा में आवश्यकतानुसार कम से कम दो–तीन दिवस वाहर भी रहना पड सकता है। इस हेतु वाहन चालक को पाबंद करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। यदि वाहन चालक इससे मना करता है तो उसे सेवा से तुरन्त हटाया जा सकता है।
24. वाहन चालक के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर एजेन्सी या सेवा प्रदाता से बिन्दु संख्या 22 के अतिरिक्त प्रति दिवस राशि रूपये 150/– की शास्ति की कटौती की जावेगी। कटौती किया जाना संभव न होने पर संबंधित सेवा प्रदाता एजेन्सी चालान से उक्त शास्ति जमा कराके विभाग को सूचित करेगा।
25. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 इस संविदा/ बोली का भाग समझे जावेगे, जो सामान्य रूप से प्रभावी होगे। साथ ही सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के नियम भी प्रभावशाली होगे। वित्त (जी.एण्ड.टी) विभाग के परिपत्र एफ. 2(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017, दिनांक 30.04.2018 तथा दिनांक 14.11.2018 प्रभावी रहेगे।
26. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा वसूलियॉ यदि कोई हो तो उन्हें प्रभारित किया जावेगा।

9-3-26

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

मुख्य निरीक्षक
कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग
राजस्थान, जयपुर

9/3/26

9/3/26 9/3/26 9/3/26

27. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में पेश की जाऐगी। अन्य स्थान पर पेश नही की जायेगी।
28. बोलीदाता द्वारा वाहन चालक को कम से कम श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से भुगतान करना आवश्यक होगा। अन्यथा सेवा निरस्त कर दी जावेगी।
29. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
30. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।
31. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिक या वाहन चालक को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जावेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित वाहन चालक के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा । श्रमिक या वाहनचालक के बैक खातो में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
32. श्रमिक/वाहन चालक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय– समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
33. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों /वाहन चालक का नियमानुसार ई.पी.एफ. जमा कराना होगा, जिसमे नियोजित वाहन चालक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
34. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेगें, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधि प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
35. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने श्रमिक/वाहन चालक का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

9-3-26

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

मुख्य निरीक्षक
कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग
राजस्थान, जयपुर

9/3/26 9/3/26 9/3/26 9/3/26 9/3/26

36. संवेदक द्वारा श्रमिक/वाहन चालक को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्यों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

37. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा– निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा' निर्देशों आदि का पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणाम/दायित्वों के लिए संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

38. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिक/वाहन चालक के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी । इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं अनुंबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठा पूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

39. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्य मुक्त करने एवं नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

40. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/ संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस.आई. करवाने / सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

41. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

42. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संशाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मलित नही करके इसे पृथक से भुगतान हेतू अंकित किया जायेगा।

43. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

44. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवानभाग को किसी अन्य एजेसी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे पर नहीं देगा।

45. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/संस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

9-3-26

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

मुख्य निरीक्षक
कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग
राजस्थान, जयपुर

9/3/26

9/3/26

9/3/26

9/3/26

46. भुगतान : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

47. कार्य सम्पादन प्रतिभूति RTPP नियम 2013 के अनुसार जमा करानी होगी।

48. बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या / संदेह हो तो निम्न से संपर्क किया जा सकता है – मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर फोन न0 0141–2709659 ई–मेल आई. डी. cifb@rajasthan.gov.in

49. मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा मे वर्णित समस्त शर्तो का तथा संलग्न पत्रों (जिसमें समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त निविदा सूचना की समस्त शर्तो की पालना करने हेतु सहमत है।

50. वित्तीय निविदा में कुल राशि रू0 (न्यूनतम मजदूरी मय अन्य सभी चार्ज) समान आने पर राजकीय संस्थाओं में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी। वित्तीय निविदा में कुल राशि रू0 न्यूनतम आने पर भी उपापन समिति को निविदा दाता की पूर्व वर्षो में सेवा की गुणवत्ता/छवि के आधार पर निविदा को निरस्त/स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार होगे।

51. निविदादाता का सर्विस चार्ज शून्य स्वीकार्य नहीं होगा। अर्थात बिना सर्विस चार्ज (Consideration) के प्रस्तूत निविदा को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उपापन संस्था को होगा। **सर्विस चार्ज पूर्ण रूपये में अंकित किया जावेगा।**

9-3-26

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

मुख्य निरीक्षक
कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग
राजस्थान, जयपुर

9/3/26

9/3/26

9/3/26

9/3/26

राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. कार्य :– एक वाहन चालक (ड्राईवर) हेतु दर संविदा हेतु निविदा।
2. बोलीदाता / संवेदक का नामः–...
3. डाक का पता :–...
4. फोन / मोबाईल न0 :–...
5. ई– मेल :–...
6. बैंक का नामः–...
   आईएफएससी कोड :–...
   खाता संख्याः–...
7. बोली प्रतिभूति राशि की डी.डी. कमांक..................दिनांक...................... राशि............
8. निविदा शुल्क की राशि का डी.डी. कमांक...
9. बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगीः–

कम स0	विवरण	रजि0स0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एव उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी)				
5	आयकर (पैन न0)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	दिसम्बर, 2025 जी.एस.टी रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति				
8	ड्राईवर का ड्राईविंग लाईसेंस				
9	अनुभव के सम्बन्ध में राजकीय विभागों संस्थाओं / में गत तीन वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24, एवं 2024–25 में किये गए कार्यों के कार्यादेश व कार्य पूर्ण करने का विभाग का प्रमाण पत्र				

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

9/3/26 9/3/26 9/3/26 9/3/26

10. कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स जयपुर द्वारा जारी की गयी बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सभी शर्तो से एवं बोली दस्तावेजो मे दी गयी अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
11. निविदा बंद लिफाफे में मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, जयपुर के नाम के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।
12. तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।
13. संवेदक/बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली/ प्राईस बिड को छोडकर शेष बोली दस्तावेजो को बोलीदाता के संबंधित प्रमाण व कागजात के साथ तकनीकी बोली के साथ स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।
14. संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबधित सभी प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।
15. बोलीदाता तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ संबंधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित किये होने चाहिए। जो कि निम्नानुसार हैः–
    1. तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित
    2. एनेक्सर – ए हस्ताक्षरित
    3. एनेक्सर – बी हस्ताक्षरित
    4. एनेक्सर – सी हस्ताक्षरित
    5. एनेक्सर – डी हस्ताक्षरित
    6. एनेक्सर – ई (घोषणा)
    7. एनेक्सर – एफ (वित्तीय निविदा)
16. संवेदक/बोलीदाता का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जावे। संलग्न एनेक्सर–ई

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

9/3/26 9/3/26 9/3/26 09/03/26

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti- competitive behaviou to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process:

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process:

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:

(g) Disclose conflict of interest, if any: and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limted to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them ; or
c. Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or Influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process: or

9/3/26 9/3/26 9/3/26

e. The Bidder participates in more than on Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid in result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limits the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder

9/3/26

9/3/26

9/3/26

09/03/26

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qulifications

Declaration by the Bidder

In relation to MY/our Bid submitted to Chief inspector factory & Boiler Inspection department for supplying Prepared photo and photo with frame etc. in response to their Notice Inviting Bids No ……………Dated…………………… we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1) I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2) I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government of the State Government or any authority, as specified in the Bidding Document.
3) I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4) I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5) I/We do not have a confect of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:	Signature of the bidder:
Place:	Name:
	Designation:
	Address:

Signature of Bidder

9/3/26

09/3/26 9/3/26 9/3/26

Appendix C: Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

The designation and address of the first Appellate Authority is Secretary of Factories & boiler Inspection department

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary of finance department

1- **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority as specified in the bidding document, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: providing further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Finacial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

1- The officer to whom an appeal is filed under para (a) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within a period of 30 days of the date filling of the appeal.

2- If the officer designated under para (a) fails to dispose of the appeal within the period specified in para (B) or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the specified in para (b) or date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

3- **Appeal not be lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

a) Determination of need of procurement;
b) Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;
c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
d) Cancellation of a procurement process;
e) Applicability of the provision of confidentiality.

9/3/26

9/3/26

09/03/26 9/3/26

4- From and procedure of filing an appeal

1- An appeal under para (1) or (3) shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents the appeal.

2- Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

3- Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

5- Fee for filing appeal

1- Fee for fist appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

2- The fee shall be paid in the form of bank, demand draft or banker's Cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

6- Procedure for disposal of appeals

1- The Fist Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

2- On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(a) hear all the parties to appeal present before him; and

(b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

3- After hearing the parties, peruse or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

4. The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

9/3/26

9/3/26

9/3/26

9/3/26

FORM No. 1
[See rule 83]
Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.............of..........

Before the ....

(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant;
   (I) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s);
   (I)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order(enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   (Supported by an affidavit)
   Prayer.......................................
   Place....................................
   Date......................................

Appellant's Signature

9/3/26

9/3/2026

9/3/26

09/03/26

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1.Correction of arithmetical errors

provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

1- if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obivious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

2- If there an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

3- If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to 1 and 2 above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed,

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

1- At the time of award of contract, the quantity of good, work or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.

2- If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than quantity specified int the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Condition of contract.

3- In case of procurement of good or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rate and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the suppler.

9/3/26

09/3/26 9/3/26 9/3/26

3.Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantities of the subject matter of procurement to be procured is vary large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such case, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rate of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

9/3/26

09/3/2026

9/3/26

09/03/2026

ANNEXURE –E

घोषणा पत्र

निविदा की समस्त जानकारी/शर्तो का मैने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै / हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/ प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है। तथा अधिनियम की धारा 46 एवं नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समयह्रत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

9/3/26

9/3/2026

9/3/26

9/3/26

(19)

ANNEXURE –F

राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर

वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. बोलीदाता / संवेदक का नामः–...
2. डाक का पता :–...
3. फोन / मोबाईल न0 :–...

नोटः– बोलीदाता वित्तीय निविदा पृथक लिफाफे में सीलबंद कर एवं उक्त लिफाफे पर (वित्तीय निविदा) अंकित कर प्रस्तुत करे।

क. स.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू.)	कुल राशि रू. प्रति इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वाहन चालक (कुल संख्या 01)	कुशल	8034		12%	3.25%		

4. उपरोक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 4 तथा 6 व 7 की पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित करवाई गई है।
5. बोलीदाता को उक्त वित्तीय प्रस्ताव के कॉलम सं0 5 व 8 तथा 9 में प्रविष्टियॉ करनी है।
6. निविदादाता का सर्विस चार्ज की राशि ऋणात्मक तथा शून्य मान्य नही होगी सर्विस चार्ज की राशि में 0 से 0.99 तक की राशि भी मान्य नही होगी तथा ऐसी बोली पर विचार नही किया जायेगा ऐसी निविदा को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उपापन संस्था का होगा । सर्विस चार्ज पूर्णांक में ही स्वीकार किया जायेगा।
7. संवेदक को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) राशि नियमानुसार अतिरिक्त रूप से देय होगी

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील
फर्म का नाम

9/3/26

9/3/2026

9/3/26

09/03/2026

(20)

Chief Inspector Factory and Boilers Inspection department

File No. ---------------------------- Date:-

Notice Inviting Bid

Following bids are Invited from the interested bidders:-

Sr.No.	Subject Matter	Estitmated Value	Last date for bid Submission
1	One Driver on contract Basis	2,70,000/- (समस्त कर सहित)	Date 17-03-2026 Upto 01:00 P.M. O'Clock

Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the state; and www.rajfab.rajasthan.gov.in website.

UBN-----------------------------

9-3-26

Chief Inspector

Factory and Boilers Inspection department

9/3/26

9/3/2026

9/3/26

9/3/26